पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या-38/2024 दिनांक- 03.02.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

ग्राम बड़हलगंज में युवती की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण; आलाकत्ल चापड के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 29.01.2024 को वादी मुकदमा बिरजू राम पुत्र सुमेर राम ग्राम निवासी रसूलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी लड़की अर्चना उम्र लगभग 21 वर्ष को आकाश पुत्र राजकुमार निवासी टेकई थाना मुहम्दाबाद जनपद मऊ बार-बार फोन करके शादी का दबाव बना रहा था, मेरी पुत्री द्वारा शादी करने से मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था। दिनांक 29.01.2024 को वादी की पुत्री सिलाई केन्द्र बड़हलगंज से घर वापस आ रही थी कि रास्ते में अभियुक्त आकाश पुत्र राजकुमार ने बरही बड़हलगंज मे धारदार हथियार से हत्या कर दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/24 धारा 302/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 02.02.2024 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज राकेश कुमार सिंह मय हमराह व उ0नि0 ओम प्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश पुत्र राजकुमार निवासी टेकई थाना मुहम्दाबाद जनपद मऊ को महुआमुरारपुर बाजार से समय करीब 23:20 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना स्थल से 01 चापड़ (आलाकत्ल) व 01 पैंट-शर्ट (खुन आलुदा) बरामद कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पुछताछ का विवरण- अभियुक्त आकाश ने बताया कि मृतका से उसकी बातचीत होती थी और दोनो आपस में शादी भी करने वाले थे। अभियुक्त ने मृतका को उपहार व पैसे भी दिये थे। बात-चीत के दौरान अभियुक्त ने गुस्से में मृतका को दिये हुये पैसे व उपहार वापस मांगे तो मृतका ने वापस कर दिया। जिसके बाद मृतका ने अभियुक्त से बात करना बंद कर दिया। अभियुक्त ने मृतका के घर वालों से बात की तो उन लोगो ने कहा कि जब वह तुमसे शादी करने के लिए मना कर रही है तो उसको छोड़ दो। अभियुक्त ने मृतका के घरवालो को धमकी दी कि यदि अर्चना की शादी कही दूसरी जगह करोगे तो मैं उसको जान से मार दूंगा। दिनांक 29.01.2024 को अभियुक्त ने मृतका को फोन करके मिलने के लिये रसूलपुर से बडहलगंज बाजार के कच्चे रास्ते पर बुलाया जहां पर अभियुक्त ने सरसो के खेत में ले जाकर हत्या कर दिया। इसके बाद अभियुक्त ने बड़हलगंज पुलिया के पास नया कपडा पहना और खुन लगे शर्ट-पैन्ट व चाकू को उसी सरसों के खेत में फेंक कर इधर उधर छिपकर रह था।

गिरफ्तार अभियुक्त– आकाश पुत्र राजकुमार निवासी टेकई थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 37/24 धारा 302/506 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी– 01 चापड़ (आलाकत्ल), 01 पैंट-शर्ट (खुन आलुदा)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़।
2- उ0नि0 ओम प्रकाश यादव थाना जहानागंज आजमगढ़।
3- का0 विपिन पांण्डेय थाना जहानागंज आजमगढ़।
4- का0 हरेन्द्र सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़।
3- का0 विकास सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना जहानागंज

वाहन चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 03 सदस्य गिरफ्तार; अवैध तमंचा कारतूस व चोरी की 05 मोटर साइकिल बरामद

आज दिनांक 03.02.2024 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता हमराह ब्लाक तिराहा कस्बा जहानागंज मे मौजूद थे कि स्वाट टीम प्रभारी मय टीम पहुचे और वाहन चोरी की घटनाओ पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से अपराध वं अपराधियो के बारे मे विचार विमर्श कर ही रहे थे कि मुखबिर ने सूचना दिया कि वाहन चोरो का गिरोह जो सठियांव की ओर से चोरी की 02 मोटर साइकिल पर 03 ब्यक्ति आ रहे है। जिसके पास अवैध तमंचा भी है। इस सूचना पर उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता हमराह व स्वाट टीम प्रभारी मय टीम बजहा पुलिया पर उक्त गिरोह का इन्तजार करने लगे थोड़ी देर बाद 02 मोटर साइकिल पर 03 ब्यक्ति आते हुए दिखायी दिये। जिन्हे रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस बल को देखकर मोटर साइकिल सवार ब्यक्ति मोटर साईकिल को पीछे मुड़ाकर भागने का प्रयास किये जिन्हे मौके पर मौजूद पुलिस बल द्वारा समय करीब 12:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों 1. अजय यादव यादव उर्फ अम्बिका यादव S/O शिवमुनि यादव नि0 कटवास PS कोपागंज जनपद मऊ उम्र करीब 21 वर्ष, 2. सोनू यादव S/O दुर्गेश यादव R/O कसारा PS कोपागंज जनपद मऊ उम्र 20 वर्ष, 3. प्रवीन खरवार S/O स्व0 त्रिभुवन खरवार निवासी सिलाइच थाना मोहम्दाबाद जनपद गाजीपुर उम्र 20 वर्ष के पास से चोरी की 02 मोटर साइकिल, तथा अभियुक्त अजय यादव के पास से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्तो की निशादेही पर 03 अन्य मोटर साइकिल पुनर्जी पुलिया के पास अर्धनिर्मित मकान से बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 42/24 धारा 411/413/414/420/467/468/471 भादवि. धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पुछताछ का विवरण- अभियुक्तो ने बताया कि वे आजमगढ़ व आस पास के जनपदों में मोटर साइकिल चोरी करके बेचते थे और पैसे आपस में बांट लेते थे।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 42/24 धारा 411/413/414/420/467/468/471 भादवि. धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना जहानागंज आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण–

(1)- 05 मोटर साइकिल (हीरो स्पलेण्डर प्लस)

(2)- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. अजय यादव उर्फ अम्बिका यादव पुत्र शिवमुनि यादव निवासी कटवास थाना कोपागंज जनपद मऊ।
2. सोनू यादव पुत्र दुर्गेश यादव निवासी कसारा थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3. प्रवीन खरवार पुत्र स्व0 त्रिभुवन खरवार निवासी सिलाइच थाना मोहम्दाबाद जनपद गाजीपुर।

आपराधिक इतिहास-

1.अजय यादव उर्फ अम्बिका यादव पुत्र शिवमुनि यादव निवासी कटवास थाना कोपागंज जनपद मऊ

1. मु0अ0सं0 209/19 धारा 394 भादवि थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 342/19 धारा 392 भादवि थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 244/19 धारा 379/411/413/414/419/420/467/468/471/120बी भादवि थाना नगरा जनपद बलिया
4. मु0अ0सं0 004/20 धारा 307/34 भादवि थाना नगरा जनपद बलिया
5. मु0अ0सं0 006/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना नगरा जनपद बलिया
6. मु0अ0सं0 17/20 धारा 3(1) गैंगैस्टर एक्ट थाना नगरा जनपद बलिया।

2.सोनू यादव पुत्र दुर्गेश यादव निवासी कसारा थाना कोपागंज जनपद मऊ (मुकदमा उपरोक्त)

3. प्रवीन खरवार पुत्र स्व0 त्रिभुवन खरवार निवासी सिलाइच थाना मोहम्दाबाद जनपद गाजीपुर (मुकदमा उपरोक्त)

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1- निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी स्वाट टीम प्रथम जनपद आजमगढ़।

2- उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता थाना जहानागंज आजमगढ़।

3- हे0का0 पवन यादव, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, का0 अवनीश सिंह, का0 सुनील प्रजापति, का0 अरुन पाण्डेय स्वाट टीम आजमगढ़।

4- का0 उमेश कुमार सर्विलांस सेल आजमगढ़।

5- हे0का0 बृजेश कुशवाहा, का0 मनोज यादव, का0 अमरजीत यादव थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनाँक 01.02.2024 को वादी मुकदमा पंकज मोहन सोनकर पुत्र मदनराम सोनकर नि0 हरबंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्तों 1.राकेश यादव पुत्र स्व० मंगल यादव 2. सन्जू यादव पत्नी राकेश यादव 3. अंजली यादव पुत्री राकेश यादव 4. 10-15 अज्ञात व्यक्ति ने वादी मुकदमा की हत्या व लूटपाट करने की नियत से वादी के RO प्लांट मे घुसकर 50 लाख रूपये की सम्पत्ति नष्ट कर दिये व 1700000/-रू0 नदग सहित सीसीटीवी कैमरा, एसी ,व कुछ मशीन व लाखो रूपये के सामान लूट लिये तथा वादी को जान से मारने की नियत से गोली फायर करते हुये भाग गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 30/24 धारा 395/307/427 भादवि0 व 3(2)5 एससी/एसटी पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सुबाष पुत्र बढु राम नि0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश मे आया।

गिरफ्तारी की विवरण- आज दिनांक 03.02.2024 को उ0नि0 त्रिभुवन नरायण मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों (1) सन्जू यादव पत्नी राकेश यादव नि0 चकखैरुल्हा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ (2) सुबाष पुत्र बढु राम नि0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को ग्राम चकखैरुल्लाह से चोरी के सामान 01 वाटर लेवल कन्ट्रोलर आटोमेटिक मशीन व 01 टुल्लू पम्प मशीन के साथ समय करीब 14.55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 30/2024 धारा 34/457/427/411 भादवि व 3(2)5 SC ST Act थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1- सन्जू यादव पत्नी राकेश यादव नि0 चकखैरुल्हा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

2- सुबाष पुत्र बढु राम नि0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. सन्जू यादव पत्नी राकेश यादव नि0 चकखैरुल्हा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	47/2023	34/504/506 भादवि 3(1)द,3(1)ध,3(2)5 SC ST Act	रानी की सराय	आजमगढ़
02	30/2024	34/457/427/411 भादवि व 3(2)5 SC ST Act	रानी की सराय	आजमगढ़

02- सुबाष पुत्र बढु राम नि0 कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	386/2023	323/504/506 भादवि	रानी की सराय	आजमगढ़
02	30/2024	34/457/427/411 भादवि व 3(2)5 SC ST Act	रानी की सराय	आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 त्रिभुवन नरायण, का0सुनील कुमार, म0आ0 संयोगिता कुशवाहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ।

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- अहरौला

चोरी करने वाले आरोपी अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 05 हजार रुपये जुर्माना

➡ दिनांक- 31.07.2021 को वादी मुकदमा शैलेन्द्र शर्मा पुत्र सत्यदेव शर्मा निवासी राजाजीपुरम थाना तालकटोरा जनपद लखनऊ ने थाना अहरौला पर शिकायत की थी कि कुछ अज्ञात चोरो ने UPIEDA की साइट से 12 कुन्टल सरिया चोरी कर लिया है।

➡ थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 113/2021 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया तथा दौरान विवेचना अभियुक्त ओम प्रकाश पुत्र श्याम लाल निवासी निजामपुर थाना अहरौला का नाम प्रकाश में आया।

➡ बाद विवेचना गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡ आज दिनांक- 03.02.2024 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं0-11 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ओम प्रकाश पुत्र श्याम लाल निवासी निजामपुर थाना अहरौला को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया हैं।